बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

संकल्प

बिहार भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास (संशोधन) नीति–2007

भारत संविधान के अनुच्छेद–39 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति–2007 (समय–समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करते है :–

बिहार भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति–2007 (समय–समय पर यथा संशोधित) की कंडिका–1.1 (ख) के क्रमांक–V के बाद निम्नलिखित क्रमांक–VI एवं VII जोड़ी जाती है–

(VI) – किसी एक परियोजना के लिए एक से अधिक मौजा में अधियाची विभाग/प्राधिकार से भूमि अर्जन हेतु एक साथ विभिन्न मौजों की अधियाचना प्राप्त होने की स्थिति में भू–अर्जन/अधिग्रहण की कार्रवाई में ***'एक परियोजना एक दर'*** की नीति लागू मानी जायेगी।

(VII) – अधियाची विभाग/प्राधिकार द्वारा समर्पित अधियाचना के आधार पर एक से अधिक मौजा में भू–अर्जन की स्थिति में भू–अर्जन/अधिग्रहण की कार्रवाई अधियाचना प्राप्ति की तिथि से **एक वर्ष** की अवधि में पूरी कर ली जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(हस्ताक्षर) 7-11-12

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/डी0एल0ए0(नीति–दर)–पटना–41/12 (खण्ड–1)– 2625 /रा0, पटना–15, दिनांक– 07-11-12

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

(हस्ताक्षर) 7-11-12

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

E:\OJHA\NOVEMBER\LETTER\06-11-2012\dinesh sir.doc